

प्रेस-नोट थाना खजनी जनपद गोरखपुर दिनांक 06.06.2022

सामूहिक बलात्कार के आरोप में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा "अपराध की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी" के संबंध में चलाये जा रहे अभियान/निर्देश के क्रम में व पुलिस अधीक्षक दक्षिणी जनपद गोरखपुर व क्षेत्राधिकारी खजनी के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक इकरार अहमद मय हमराह के थाना हाजा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 137/22 धारा 376डी भादवि व 5/6 पास्को एक्ट में वांछित अभियुक्त राहुल यादव पुत्र रामाज्ञा यादव निवासी रामपुर मलौली थाना खजनी गोरखपुर उम्र करीब 29 वर्ष को एसबीआई तिराहा खजनी से समय करीब 14.28 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। अभियुक्त को माननीय न्यायालय खाना किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त -

राहुल यादव पुत्र रामाज्ञा यादव निवासी रामपुर मलौली थाना खजनी गोरखपुर उम्र करीब 29 वर्ष

गिरफ्तार करने वाले अधिकारी व कर्मचारीगण-

1. प्र0नि0 इकरार अहमद थाना खजनी गोरखपुर
2. का0 सुनील यादव थाना खजनी गोरखपुर
3. का0 संतोष यादव थाना खजनी गोरखपुर

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0- 137/22 धारा 376 डी भादवि व 5/6 पास्को एक्ट थाना खजनी जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय-

गिरफ्तारी का स्थान- एसबीआई तिराहा खजनी, दिनांक 06.06.2022 समय 14.28 बजे